सं० 17839 कार्यालय - राजस्व अभिलेखागार कलैक्टरेट अलीगढ़ 13

आदेश पत्र

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :अलीगढ़,तहसील :अतरौली
वाद संख्या :-03381/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201818020503381
शाकिब अनवार बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल आदेश दिनांक

प्रस्तुत वाद उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत प्रार्थी [illegible] ए० एण्ड एस० चैरिटेबिल वैलफेयर सोसाइटी पंजीकरण संख्या 1739 मौहल्ला चौधरियान [illegible] के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अतरौली द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर [illegible]

तहसीलदार अतरौली से प्राप्त जाँच आख्यानुसार मौजा अतरौली पटटी [illegible] तहसील अतरौली स्थित भूमि खाता 240 के गाटा संख्या 1213 क्षेत्रफल 0.5150 है० भूराजस्व 25.50 [illegible] प्रार्थी साकिब अनवार पुत्र अनवार खाँ सचिव/प्रबन्धक ए० एण्ड एस० चैरिटेबिल वैलफेयर सोसाइटी पंजीकरण संख्या 1739 मौहल्ला चौधरियान करबा व तहसील अतरौली का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। [illegible] पर चारदीवारी बना कर कालिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर मौके कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही हो रहा है और वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पूर्णतया अकृषित भूमि है। उक्त भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना या सार्वजनिक [illegible],सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नही है तथा महायोजना में प्रस्तावित उपयोगो के विरुद्ध नही है। अतः तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषित भूमि घोषित किये [illegible] प्रेषित की गयी है तथा वाद भूमि के स्थल के फोटो चित्र एवं नक्शा नजरी बनाकर प्रस्तुत किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसील आख्या का अवलोकन किया जिससे विदित होता कि मौजा अतरौली पटटी बाहर चुंगी परगना व तहसील अतरौली स्थित भूमि खाता 240 के गाटा संख्या 1213 क्षेत्रफल 0.5150 है० भूराजस्व 25.50 रुपया पर प्रार्थी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर [illegible] अभिलिखित है जिसका प्रार्थी तन्हा खातेदार है। तहसील आख्यानुसार उक्त भूमि पर चारदीवारी होकर कालिज का निर्माण कार्य जारी है तथा उक्त भूमि पर मौके कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही हो रहा है और वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पूर्णतया अकृषित भूमि है। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध फोटो चित्रों से होती है। तहसील आख्यानुसार उक्त भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना या सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की कोई सम्भावना नही है तथा महायोजना में प्रस्तावित उपयोगो के विरुद्ध नही है तथा सार्वजनिक एवं आरक्षित भूमि नही है। प्रार्थी द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) में दिये गये प्राविधान के अधीन उक्त भूमि [illegible] अकृषित घोषणा हेतु निर्धारित शुल्क राजकीय मद के लेखाशीर्षक में चालान संख्या आई.बी.–31772 दिनांक 25.[illegible] 2018 को धनराशि 55350.00 रुपया जमा कर दिया गया है जिसकी एक प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी दशा में तहसील आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थी की उक्त भूमि को अकृषित भूमि घोषित किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

अतः तहसील जाँच आख्या के आधार पर साकिब अनवार पुत्र अनवार खाँ सचिव ए० एण्ड एस० चैरिटेबिल वैलफेयर सोसाइटी पंजीकरण संख्या 1739 मौहल्ला चौधरियान करबा व तहसील अतरौली की मौजा अतरौली पटटी नजफखाँ बाहर चुंगी परगना व तहसील अतरौली स्थित भूमि खाता 240 के गाटा संख्या 1213 क्षेत्रफल 0.5150 है० भूराजस्व 25.50 रुपया भू०। को अकृषित भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उपरोक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होना पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि घोषित कर दिया जायेगा। यह आदेश एक घोषणा मात्र है किसी अन्य प्रयोजन की अनुमति नही है। उपरोक्तानुसार भूराजस्व खाते से मुक्त किया जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। राजस्व अभिलेख खतौनी में इस आदेश का इन्द्राज वर्णानुक्रम किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार अतरौली व उपनिबन्धक अतरौली को भेजी जावे। अनुपालन के उपरान्त पत्रावली संचित की जावे।

दिनांक : 28.09.2018

sd
([illegible])
उपजिलाधिकारी, अतरौली
अलीगढ़

नकल संदाल के दिनांक 11-8-22
नकल बनाने का दिनांक 16-8-22
नकल तारी करने का दिनांक 16-8-22
नकल नवीस के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल पृष्ठ की संख्या [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
16-8-22
राजस्व अभिलेखागार
कलैक्टरेट अलीगढ़